उ0प्र0 विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय बुधवार हेतु डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर ।

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
2	(क) क्या होमगार्ड्स मंत्री बतायेंगे कि ग्राम मनिहरगवाँ, पो0-सुदामापुर, तहसील-ऊँचाहार, जनपद-रायबरेली के निवासीगण जो कि होमगार्ड्स कम्पनी में कार्यरत थे के अपंगता के कारण उनके आश्रितों को सेवायोजित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनॉक 6 नवम्बर, 2024 जो कि प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?	(क) जी हॉ। इस विषय में जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, रायबरेली के पत्र दिनांक: 15-01-2025 के माध्यम से आवेदिका कु0 रीता देवी के पिता श्री इन्द्रसेन, होमगार्ड, जनपद रायबरेली के स्थायी रूप से दिव्यांगता से सम्बन्धित प्रकरण, जिसमें आवेदिका के भाई श्री सत्येन्द्र कुमार को होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित करने का अनुरोध किया गया है, होमगार्ड्स मुख्यालय पर प्राप्त हुआ है।
	(ख) यदि हॉ, तो उक्त पत्र के क्रम में अब तक कार्यवाही पूर्ण करा दी गयी है ?	(ख) स्थायी रूप से दिव्यांग होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के प्रकरणों का सम्यक परीक्षण कराए जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-51/ 2024/2526/95-1099/37/ 2021, दिनांक: 03 दिसम्बर, 2024 द्वारा यह व्यवस्था निर्धारित की गई है कि महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्तर के अधिकारी सदस्य रहेंगे। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के सेवाकाल में स्थायी दिव्यांग होने की स्थिति में सम्बन्धित जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी की समिति की संस्तुति संबंधित जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश को भेजेंगे तथा उक्त प्रस्ताव पर समस्त तथ्यों का परीक्षण कर संज्ञान लेते हुए महासमादेष्टा, होमगार्ड्स द्वारा गठित उक्त समिति विचार करके आश्रित की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति करेगी। समिति की संस्तुति के

उपरान्त ही आश्रित की भर्ती, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा की जायेगी। तद्नुसार शीघ्र ही श्री इन्द्रसेन के प्रकरण को उक्त समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत करते हुए निर्णीत करा लिया जाएगा।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	(ग) उपरोक्तानुसार।
(घ) उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण करा दी जायेगी ?	(घ) उपरोक्तानुसार।

धर्मवीर प्रजापति
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)